पाठ 2

व्यवस्थापिका-कानून बनाना

हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया ‘राज्यों का संघ’ ;न्दपवद व िजंजमेद्ध होगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है।

अपने शिक्षक की सहायता से भारत का राजनैतिक मानचित्र देखकर अपने देश के राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची अपनी अभ्यास-पुस्तिका में बनाइए।

भारत में संघ (केन्द्र) तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। चूँकि भारत राज्यों का संघ है इसलिए संघ और राज्य के काम बँटे हुए हैं। संघ सरकार जो कानून बनाती है वह पूरे देश के लिए बनाती है। वह ऐसे मामलों (विषयों) पर कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए न होकर सभी राज्यों के लिए होते हैं।

संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार हैं -

संघ सूची

राज्य सूची

समवर्ती सूची

संघ सूची - इस सूची के विषयों पर विधि (कानून) बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं-

राज्य सूची- इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं-

राज्य सूची के कतिपय विषय

समवर्ती सूची- कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अन्तर्गत रखा गया है। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नवत् हैं-

समवर्ती सूची के कतिपय विषय

यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद होता है तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है।

संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा।

समवर्ती सूची के कतिपय विषय

चिकित्सा अन्य व्यवसाय शादी मीडिया किताबें

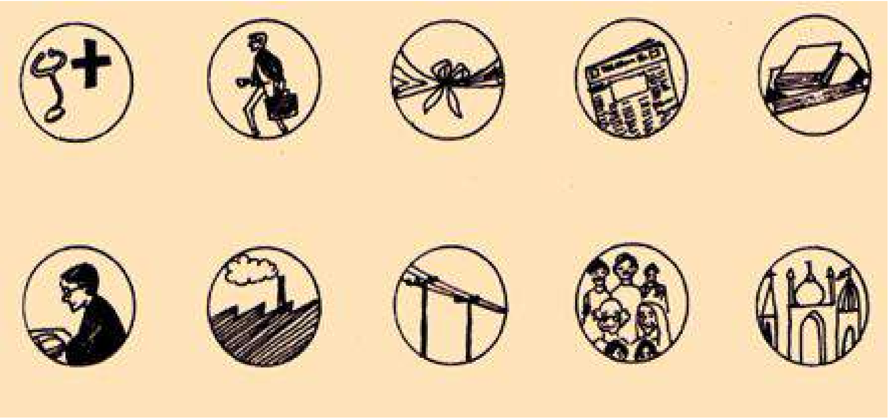

शिक्षा उद्योग बिजली परिवार धार्मिक संस्थाएँ

सरकार के अंग

	केन्द्र	राज्य	कार्य
व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका	संसद केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् उच्चतम न्यायालय	विधानमंडल राज्य मंत्रिपरिषद् उच्च न्यायालय	कानून बनाना कानून लागू करना कानून का पालन कराना

संसद

संघ (केन्द्र) की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है- देश के लिए कानून का निर्माण करना। भारतीय संसद, राष्ट्रपति और दो सदनों-लोक सभा और राज्य सभा से मिलकर बनती है।

संसद भवन

लोकसभा

लोक सभा संसद का 'निम्न सदन' ;स्वूमत भ्वनेमद्ध है। लोक सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोक सभा के चुनाव के लिए पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया है। हर हिस्से को 'लोक सभा चुनाव क्षेत्र' कहते हैं।

हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोक सभा में आते हैं। लोक सभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत हैं। चुनाव में उस क्षेत्र में रहने वाले 18 साल या उससे ऊपर की आयु वाले लोग वोट डालते हैं। चुनाव लड़ने वालों मंे जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वही लोक सभा का सदस्य बनता है। आपने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भाषण देते या नारे लगाते हुए देखा होगा।

योग्यताएँ

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए -

भारत का नागरिक हो व मतदाता सूची में उसका नाम हो।
25 साल या उससे अधिक आयु हो।
किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो।
पागल या दिवालिया न हो।

लोक सभा का कार्यकाल

लोक सभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोक सभा को भंग कर सकता है।

लोक सभा के पदाधिकारी

लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष; ैचमंामतद्ध और एक उपाध्यक्ष ;क्मचनजल ैचमंामतद्ध चुनते हैं। ये उन्हीं सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं।

पता कीजिए इस समय लोकसभा का स्पीकर कौन है ?

बैठकों के दौरान लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष चलाता है। लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अध्िावेशन (बैठक) होने पर भी अध्यक्ष ही कार्यवाही का नियंत्रण व संचालन करता है। अध्यक्ष न हो तो यही काम उपाध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का बहुमत अध्यक्ष को न चाहे तो उन्हें प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं।

लोकसभा के अधिवेशन साल में दो बार अवश्य होने चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच छः महीने से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

लोक सभा के कार्य

कानून बनाना।
मंत्रिपरिषद् के कामों पर अपना नियंत्रण रखना।
कानूनों में संशोधन करना।
जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना।

राज्य सभा

राज्य सभा संसद का ‘उच्च सदन’ ;न्चचमत भ्वनेमद्ध है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिये प्रसिद्ध होते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा समाज-सेवियों में से नामित करता है।

शेष सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा दिल्ली और पुदुच्चेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूँकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है इसलिए इस प्रकार के चुनाव को 'अप्रत्यक्ष चुनाव' कहते हैं। राज्य सभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएँ वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं। परन्तु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।

सदस्यों का कार्यकाल

राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसीलिए इसे 'स्थायी सदन' कहा जाता है।

राज्यसभा के पदाधिकारी

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है जब सभापति उपस्थित नहीं रहता तब उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है।

अधिवेशन (बैठक)

राज्यसभा का वर्ष में दो बार अधिवेशन (बैठक) होना आवश्यक है। एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच छः माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

राज्यसभा का कार्य

लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने का कार्य करती है। दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव (विधेयक) स्वीकार कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है।

विशेष बात यह है कि धन से सम्बन्ध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है।

कानून निर्माण की प्रक्रिया

संसद का सबसे महत्त्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना और कानून बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक (ठपसस) कहते हैं। ये

विधेयक दो प्रकार के होते हैं- साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। कानून बनने की संक्षिप्त प्रक्रिया इस प्रकार है

साधारण विधेयक

साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है।

साधारण विधेयक तीन चरणों में पारित होता है जिसे तीन वाचन कहते हैं।

पहला वाचन - लोकसभा के सदस्य ने अध्यक्ष से विधेयक पेश करने की अनुमति माँगी। उनकी अनुमति से लोकसभा में विधेयक पेश किया गया। हर सदस्य को विधेयक की एक प्रति दी गयी और उसके बारे में बताया गया। कुछ दिनों बाद समय तय किया गया और विधेयक के हर बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की गयी। कई सदस्यों ने संशोधन भी सुझाए।

दूसरा वाचन - कुछ दिनों बाद संशोधन के साथ विधेयक दोबारा बारीकी से पढ़ा गया और विधेयक का विश्लेषण किया गया। इसी समय विधेयक में जरूरी संशोधन भी किए गए।

तीसरा वाचन - द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन में संपूर्ण विध्ोयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई भी महत्त्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है।

यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसका समर्थन कर देता है, तो विधेयक पारित हो जाता है। यदि

विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह काननू बन जाता है।

कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु

साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है - राज्यसभा या लोकसभा में।
आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी है।
आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभा का सभापति अपना मत नहीं देता है, पर यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं तो सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन से नहीं पारित होता है तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है परन्तु वही विधेयक लोकसभा द्वारा दुबारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे।

धन विधेयक

जिन विधेयकों में खर्चें या आमदनी की बात जुड़ी है, जैसे बजट, तो उस के लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है। यानी ये विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं। राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक अपने पास रख सकती है।

लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण सिद्धान्त है बहुमत का शासन। बहुमत से लोग चुने जाते हैं, बहुमत से विधेयक पारित होते हैं।

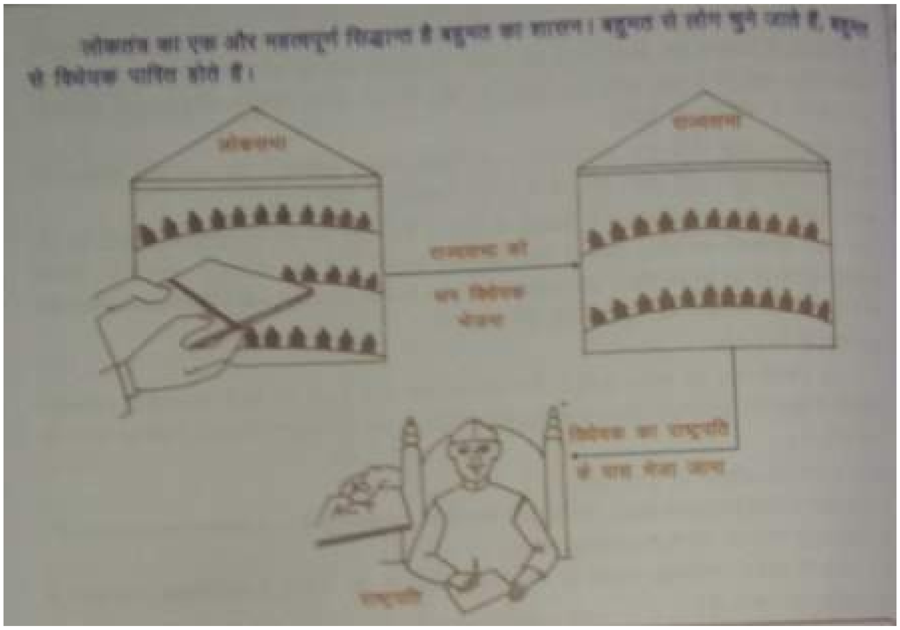

और भी जानें

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में

©हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं।

©यह राज्यपाल, विधान सभा तथा विधान परिषद् से मिलकर बनती है।

©विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है।

©वही व्यक्ति विधान सभा का चुनाव लड़ सकता है, जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एम0एल0ए0 ;डमउइमत व िस्महपेसंजपअम ।ेमउइसलद्ध कहा जाता है।

©सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव

करते हैं।

©सामान्यत: विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है परन्तु मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है।

©उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में 100 सदस्य होते हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

©वही व्यक्ति विधान परिषद् का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद् के सदस्यों को विधायक या एम0एल0सी0 ;डमउइमत व िस्महपेसंजपअम ब्वनदबपसद्ध कहते हंै। विधान परिषद् के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उप सभापति चुनते हैं।

©विधान परिषद् एक स्थाई सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं।

©विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा एवं विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है।

©हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए -

(क) लोकसभा का कार्यकाल है -

(अ) 5 वर्ष | (ब) 6 वर्ष

(स) 7 वर्ष | (द) 8 वर्ष

(ख) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्य संख्या है -

(अ) 95 (ब) 99

(स) 100 (द) 104

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है?

(ख) केन्द्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के दो-दो विषय लिखिए।

(ग) लोकसभा के कार्यों को लिखिए।

(घ) लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अन्तर लिखिए।

(ङ) विधेयक के कानून बनने के तीन चरणों को प्रस्तुत कीजिए।

(च) धन विधेयक क्या है ? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है ?

(छ) अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए।

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) संघ कई .... से मिलकर बना है।

(ख) संविधान में शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले विषय .... सूची में दिया गया है।

(ग) लोकसभा, राज्यसभा तथा .... को मिलाकर भारतीय संसद बनती है।

(घ) राज्य सभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक .... हो सकती है।

3. सही मिलान कीजिए-

केन्द्र सूची का विषय	6 वर्ष
लोकसभा की बैठक की कार्यवाही	डाक तथा तार
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल	कम से कम 25 वर्ष
लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु	अध्यक्ष

समूह गतिविधि

कक्षा के बच्चों की 2 टोलियां बनाकर लोकसभा व राज्यसभा का गठन किया जाए। कक्षाध्यापक राष्ट्रपति की भूमिका में रहे। एक विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का अभिनय किया जाए।